न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 88/2019

1 ओमप्रकाश दत्तक पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी ग्राम नांगल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 केशर देव पुत्र भींवाराम।
2 दीनदयाल पुत्र भींवाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नांगल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी पटवार हल्का ढ़हर का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955
विरूद्व अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 11.06.19
न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 कुलराज मीणा आर.ए.एस
दावा संख्या 1ए/2018 बउनवानी केशरदेव बनाम
भींवाराम आदि दावा बाबत बंटवारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10/5/23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 1ए/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी केशरदेव ने प्रतिवादी दीनदयाल, ओमप्रकाश के विरूद्ध ग्राम नांगल तहसील लक्ष्मणगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 2.83 हैक्टर बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 26.02.2019 को अपीलांट के अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति व्यक्त की इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का पूर्व में अपीलांट एकमात्र खातेदार था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को 0.90 हेक्टेयर का बेचान करने पर खातेदारी दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने तामील पूर्ण करवाये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिये। विधि अनुसार दिनांक 18.05.2018 के आदेश को प्राथमिक डिक्री नहीं माना जा सकता है। साक्ष्य व दस्तावेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रदर्शित हुए बिना डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। विचाराधीन अंतिम डिक्री सहमति से पारित किया जाना अंकित किया गया है। विधि अनुसार सहमति केवल पक्षकार प्रदान कर सकता है। अधिवक्ता केवल पक्षकार की पहचान करता है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में कोई सहमति नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विधि अनुसार पटवारी हल्का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकृत नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत दावे में 0.90 हैक्टर भूमि को शामलाती बताया गया है जबकि नक्शें में अलग–अलग दर्शित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के आदेश के दिन पत्रावली तामील में नियत थी। विचाराधीन निर्णय की अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा जानकारी नहीं दी गई। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014(2) पेज नं. 1157, डीएनजे 2021 (2)(रेव) पेज नं. 876, आरआरटी 2020(1) पेज नं. 55, डीएनजे 2021(1)(रेव) पेज नं. 729, आरएलडब्ल्यू 2002 (राज.) पेज नं. 479, आरएनडब्ल्यू 2003 (1)(राज.) पेज नं. 431 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2019 के विरूद्ध मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 03.01.2019 को जरिये वकालतन उपस्थित हो गया था। इसके उपरांत भी अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में अपीलांट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस विभाजन प्रस्ताव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
रायपुर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु हस्ताक्षर कर अनापत्ति जाहिर की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की वकालतन उपस्थिति होने के उपरांत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिए जाने का कथन अपीलांट ने आवेदन धारा 5 में नहीं किया है। वकालतनामें में पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को मुकदमें की सभी प्रकार की पैरवी का अधिकार दिया जाता है। वकालतनामें में समझोते का भी अधिकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2019 के विरूद्ध मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट दिनांक 03.01.2019 को जरिये वकालतन उपस्थित हो गया था। इसके उपरांत भी अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री के संदर्भ में अपीलांट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। इस विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु हस्ताक्षर कर अनापत्ति जाहिर की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने सहमति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की वकालतन उपस्थिति होने के उपरांत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिए जाने का कथन अपीलांट ने आवेदन धारा 5 में नहीं किया है। वकालतनामें में पक्षकार द्वारा अधिवक्ता को मुकदमें की सभी प्रकार की पैरवी का अधिकार दिया जाता है। वकालतनामें में समझोते का भी अधिकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर